

10
5/19

प्रधानी का हक। कानून की
कार्यवाही के लिए।
आदि।
दिनांक 20/01/2020 को पेश हो।

16.3.20

ईजाजती पेशी होने पर पत्रावली को
पेश हुई। पत्रावली वास्तव में तलबी अपील
है। दिनांक 04/05/20 को पेश हो।

01/9/2020

कोविड-19 संक्रमण के कारण ईजाजती पेशी
की जाने पर पत्रावली में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 21/9/2020 निश्चित की। वकील
पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रावप में तलबी स्वीकार
किया जाने पर पत्रावली निश्चित पेशी से तलबी
की जाना जा सकता है। तलबी अपील में
एक प्रावप पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण
में विवाहित पक्षकारों के मध्य विवाद का मुख्य
बिन्दु समाप्त होने का रहा है तथा पक्षकारों
द्विपक्षी अनुसार व बंधुवारे अनुसार एक दुसरे
के नाम रखवाने हेतु तैयार हैं। अतः स्थान
आदेश को समाप्त कर पत्रावली ^{विद्रा} करी की
कृपा करें।

द्विपक्षी प्रावपों के अधिनियम अनुसार विवाहित पक्षकारों
के मध्य विवाद का मुख्य बिन्दु समाप्त होने
जा रहा है तथा प्रावपों प्रकरण में आगे कोई
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रावपों द्वारा तलबी
तलबी प्रस्तुत प्रावप स्वीकार कर दस्तावेज
प्रकरण विद्रा किये जाने की अनुमति

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

प्रदान की जाती है। द्विपक्षी प्रकरण में आगे
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही
प्रकरण इसी स्तर पर close की जाती है। पत्रावली
केवल शुगर टोंकर नम्बर से मज हो तथा
बाद तलबील दाखिल कपतर हो। निर्णय
इसके जज्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला